प्रथम अध्याय
प्रस्तावना

प्रथम अध्याय

1.0 प्रस्तावना

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए और बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए NPE 1986 में बाल शिशु स्वास्थ्य और शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। तब से लेकर आज तक ई.सी.सी.ई. के क्षेत्र में सरकारी और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अनेक ई.सी.सी.ई. के केन्द्र खोले व शुरू किये गये हैं।

किसी राष्ट्र की उन्नति उस राष्ट्र के लोगों का सामाजिक स्वास्थ्य व शिक्षा पर निर्भर होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जीवन की शुरूआंत के प्रथम छः साल में बच्चों के विकास की दर सर्वाधिक होती हैं

निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चों के लिए गुणात्मक पूर्व प्राथमिक शिक्षा अत्यंत जरूरी है जो उन्हें अच्छा वातावरण व अनुभव प्रदान कर सकें। मध्यम व उच्च स्तर के लोगों में कुटुम्ब विभाजन का प्रश्न यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है। और कामकाजी महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बन चुकी है।

उच्च गुणवत्ता युक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों को आगे के जीवन के लिए तैयार करती है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करती है। NCERT द्वारा किये गये एक संशोधन के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रभाव से प्राथमिक शिक्षा में नामांकन व रिटेन्शन बढ़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-92 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में खेल पद्धति द्वारा शिक्षा को महत्व दिया गया है और बच्चों को इस अवस्था में लेखन, वाचन व गणित सिखाना मुनासिब नहीं माना है।

यशपाल कमेटी ने भी पूर्व प्राथमिक अवस्था में श्री आर. (वाचन, लेखन, गणित) सिखाने को मुनासिब नहीं माना हैं इस अवस्था में बच्चों के लिए प्रवेश परीक्षा व साक्षात्कार पद्धति का बंद करने पर भार दिया है। पिछले कुछ वर्षो के दरम्यान ई.सी.ई. क्षेत्र में संख्यात्मक वृद्धि देखी गई है।

शहरी क्षेत्र में नर्सरी विद्यालय और किण्डरगार्टन कुकुरमुत्ते की तरह दिखाई देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में जागृति आई है। कई राज्यों में बालवाड़ी व आँगनवाड़ी बच्चों के विकास के लिए कार्यरत है।

1.1 पूर्व प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम का स्तर

भारत के दस शहरों की प्रतिष्ठित विद्यालयों के संर्वेक्षण से पता चलता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ई.सी.ई. के लिए जो मानदंड तैयार किए गए हैं। वो केवल कागज पर ही रह गए हैं अभ्यासक्रम के सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि उनके लिए जो अभ्यासक्रम तैयार किया जाता है वो ऐसा है कि जिसके प्रति बालक न तो मानसिक रूप से तैयार होता है और न ही शारीरिक रूप से। बालकों को प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा व साक्षात्कार लिया जाता है जिसके कारण वंचित होने पर प्रवेश नहीं दिया जाता है। इससे उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधा आती है।

हम ऐसा मानते हैं कि बालकों का जन्म गृहकार्य व परीक्षा देने के लिए ही हुआ है जिस विद्यालय में खेल द्वारा शिक्षा पद्धति का उपयोग हो रहा है वहां भी वह पूरक प्रवृत्ति के लिए ही है न कि शिक्षा की मुख्य प्रवृत्ति के लिए। कई घटनाओं में पूर्व प्राथमिक शाला में प्रवेश के लिए माता-पिता का साक्षात्कार लिया जाता है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए इस प्रकार के शिक्षाक्रम की आवश्कता ही नहीं हैं। 3 से 6 वर्ष की अवस्था इन्द्रिय विकास, मांसपेशियों को संगठन, स्वास्थ्यप्रद आदतों का निर्माण, क्रीड़ा द्वारा आनंद की अनुभूति और पर्यवेक्षण द्वारा बाहरी वातावरण के समझने के लिए बहुत आवश्यक है। यंह ज्ञान प्राप्ति या ज्ञान के प्रयोग की अवस्था नहीं है। इसी कारण मांटेसरी व फ्रोबेल ने इन्द्रिय प्रशिक्षण, बालवाड़ी (किण्डरगार्टन) और क्रीड़ा पर बल दिया।

1.2 प्राथमिक शिक्षा की प्रकृति व उद्देश्य

शैक्षिक विकास में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में इसका एक निश्चित स्थान है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालक को घर से विद्यालय या अनौपचारिक वातावरण से औपचारिक वातावरण में प्रवेश करने में मदद करता है।

आर्थिक स्थिति के कारण माता-पिता दोनों घर से बाहर बहुत घंटे काम पर जाते हैं। तो इस सयमपूर्व प्राथमिक विद्यालय दूसरा विकल्प है। बच्चों को घर जैसा माहौल देने का। ये बच्चों की भौतिक व मानसिक आवश्यकता को पूर्ण करते हैं इन विद्यालयों में प्रवेश के दौरान बालकों में विद्यालय की पूर्व तैयारी हो जाती है।

बच्चों में सामाजिक मूल्यों के बारे में जानकारी, स्वयं तथा वातावरणीय स्वच्छता का भी प्रेरित करता है।

बच्चों का चिकित्सीय जाँच निंरतर तथा निदानात्मक क्रियात्मक कार्य दिया जाये। संतुलित आहार व जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना ये सभी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कार्य है।

वैज्ञानिक अभिवृत्ति का आधार उचित मूल्यों जैसे कठिन परिश्रम, राष्ट्रीय संवेदना, व्यवस्थित कार्य और आचरण ये सभी प्रारंभिक वर्षो में ही विकसित हो सकेंगे।

इस अवस्था को बहुत कठिन माना है क्योंकि इस समय जो विकास होता है वो बहुत गतिशील होता है अन्य विकास के स्तरों की अपेक्षा। अतः बालक को उत्प्रेरक वातावरण देना बहुत जरूरी है ताकि उसकी क्षमता का सही दिशा में विकास हो सके।

सामान्य उद्देश्य

पूर्व प्राथमिक शिक्षा पढ़ना, लिखना, पूर्व तैयारी, ज्ञानात्मक, भाषा और अन्य शारीरिक कौशल, सामाजिक विकास आदि कराती है। यह प्राथमिक विद्यालय में अच्छे समायोजन करने के लिए तैयार करती है। ताकि प्रारंभिक

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को पाया जा सके। यह कार्यक्रम लड़कियों के नामांकन पर भी सकारात्मक प्रभाव हो रहा है क्योंकि उनकी भी देखभाल का उत्तरदायित्व है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा बालकेन्द्रित कार्यक्रम है। यह खेल विधि व गतिविधि प्रणाली का अनुसरित करता है। इसका लक्ष्य है बालक का हारमोनियस विकास, वातावरण के साथ अंतक्रिया को प्रोत्साहन समूह गतिविधि में सक्रिय सहभागिता द्वारा व सृजनात्मक समस्या समाधान आदि के द्वारा हो सके।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम गतिविधि व अनुभवों पर जोर देता है बालक को त्यात्मक, शारीरिक, ज्ञानात्मक व भाषा, सामाजिक व संवेगात्मक तथा सृजनात्मक व सौंदर्यात्मक प्रत्यक्षीकरण कौशलों के विकास के लिये।

शिक्षा आयोग द्वारा वृहद सामान्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

1. बच्चे में मौलिक गत्यात्मक कौशल, मांसपेशीय समन्वय व शारीरिक आचरण का विकास करना।
2. व्यक्तिगत समायोजन जैसे (पहनना, खाना,धोना, साफ करना) के लिए अच्छी स्वास्थ आदत व मूलभूत कौशलों को विकसित करना।
3. उचित सामाजिक अभिवृत्ति व आचरण व स्वस्थ समूह सहभागिता की आदत का विकास व दूसरों के अधिकार के प्रति संवेदनशील बनाना।
4. बच्चो को स्वयं के भावों व अनुभवों को प्रदर्शित, समझने व स्वीकारने में उसको निर्देशित करना।
5. सौन्दर्यात्मक प्रत्यक्षीकरण को प्रोत्साहित करना।
6. विश्व को समझने में सहायता देना और बौद्धिक जिज्ञासा को उत्प्रेरित करना।

7. देखने, जांचने व प्रयोग के अवसर देकर नये रुचियों को बढ़ावा देना।

8. स्वप्रत्यक्षीकरण के लिए स्वतंत्रता व सृजनात्मकता की प्रोत्साहित करने के लिए समुचित अवसर देना।

9. बच्चे में स्वयं के विचारों को प्रस्तुत करना व बोलने की योग्यता को विकसित करना।

विशिष्ट उद्देश्य

1. सामाजिक व संवेगात्मक विकास

   * सुरक्षा की भावना का विकास करना।
   * उचित व्यक्तिगत व सामाजिकमक आदतों का विकास करना।
   * सकारात्मक आत्म प्रत्यय का विकास करना।
   * सामूहिक गतिविधयों मे सहभागिता का विकास करना।
   * व्यवहार को नियन्त्रित करने की योग्यता का विकास करना।

2. शारीरिक व गत्यात्मक विकास

   * शारीरिक वृद्धि के रखरखाव में मदद करना
   * माँसपेशीय समन्वय का विकास करना।

3. भाषात्मक विकास

   * सुनने के कौशल का विकास करना।
   * शाब्दिक कौशल का विकास करना।

4. ज्ञानात्मक विकास

   * समस्या समाधान, वर्गीकरण व व्यवस्थित विचार धारा के कौशलों का विकास करना।

* संकल्पना के प्रारूपों में मदद करना जैसे आकार, रंग, जगह, समय, तापमान, घर, वातावरण।

5. आत्म प्रत्यक्षीकरण व सौंदर्यात्मक प्रत्यक्षीकरण।

* सृजनात्मक आत्मप्रत्यक्षीकरण का विकास करना।

UNESCO द्वारा एक रिपोर्ट दी "वर्ल्ड सर्वे ऑफ प्री. स्कूल एज्युकेशन" जिसमें सामाजिक, शैक्षिक, विकासात्मक लक्ष्यों को बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल के ऊपर जोर दिया गया है। उसके अनुसार निम्नलिखित लक्ष्य है:-

1. सकारात्मक आत्म प्रत्यय का विकास करना।

2. वैयक्तिक तौर पर बच्चे की क्षमता का विकास करना।

3. समाज के उपयोगी सदस्य बनाने के लिए अवसर प्रदान करना तथा अनुकूलता व सहयोगी प्रवृति को प्रोत्साहित करना।

इस प्रकार पूर्व प्राथमिक शिक्षा की विषयवस्तु जोर देती है अभिवृत्ति के विकास व वातावरण अनुभवों पर।

1.3 E C E कार्यक्रम के उद्देश्य

1. बच्चे में अच्छे मांसपेशीय समन्वय और आधारभूत गत्यात्मक कौशलों का विकास।

2. बच्चे में खाने, धोने, साफ करने आदि व्यक्तिगत समायोजन के लिए उचित आदतों का विकास करना।

3. स्वस्थ समूह सहभागिता एवं दूसरों के अधिकारों व विचारों का सम्मान करना सिखाना।

4. बालक में संवेगात्मक स्थिरता का विकास करना ताकि वह अपनी भावनाओं व विचारों को व्यक्त कर सके, समझ सके।

5. सौन्दर्यात्मक प्रत्यक्षीकरण को प्रोत्साहित करना।

6. जिस विश्व में वह रहता है उसके बारे में उसकी जागरुकता को और उत्प्रेरित करना।

7. बच्चे को स्वतंत्र माहौल देना व सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए उचित अवसर प्रदान करना ताकि वह स्वयं को व्यक्त कर सके।

8. बच्चे में अपने विचारों व भावों को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने की योग्यता का विकास करना।

महत्व **E C E** का

* प्रारंभिक बाल शिक्षा बालक के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

* पहले छः साल जीवन के क्रिटकिल साल माने जाते हैं क्योंकि बालक की जिंदगी में इन सालों में विकास बहुत गतिशील होता है अन्य सालों के विकास की अपेक्षा।

* इन सालों में बालकों की अधिक उत्प्रेरक वातावरण की जरूरत है ताकि वे अपनी क्षमताओं का सही दिशा में विकास कर सके।

* वर्तमान में माताएं घर से बाहर कार्य कर रहीं हैं और पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है और अभिभावकों की अलग तरह की जीवन शैली पनप रही है। और शायद बालक इस वातावरण में उत्प्रेरित नहीं हो रहें।

* वे बालक जो सुविधाहीन भागों से हैं जिनके माता पिता शिक्षित नहीं हैं वे प्रभावी अंर्तक्रिया न तो बच्चे और न ही दूसरों के साथ कर पाते हैं उन्हें भाषात्मक व ज्ञानात्मक कौशलों में विकसित करना। जिनके पास खिलौने, किताबें, खेल सुविधा आदि की कमी है। यदि इन्हें इस तरह का वातावरण पहले छः सालों में दिया जाये तो उनका विकास भी

प्रभावी ढंग से किया जा सकता है विशेषता या उसका बौद्धिक व भाषा विकास।

* बाल शिशु शिक्षा इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। ई.सी.ई. कार्यक्रम बच्चों को उत्प्रेरक अनुभव दे रहा है ताकि उनका ज्ञानात्मक, भाषा शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास प्रभावी हो सके।

यह कार्यक्रम बच्चों को मजबूत आधार देने में उनकी सहायता करता है जिनकी क्षमता का विकास सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं हुआ।

1.4 ई.सी.ई. तथा प्रा. शिक्षा का सार्वभौमीकरण

यह बच्चों को तत्पर, उत्प्रेरित करता है विद्यालय के लिए।

यह बालकों को आगे सीखने वाली संकल्पनाओं के लिए आवश्यक भाषा, शारीरिक कौशल, लिखने पढ़ने व गणित के लिए तैयार करता है।

यह बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ सामंजस्य बनाने, बैठने व अन्य

गतिविधियों को सीखने में मदद करता है।

ये सभी कौशल और क्षमता बालक को प्राथमिक विद्यालय में समायोजन करने में सहायक रहते हैं, जिससे शाला त्याग को प्राथमिक स्तर पर कम किया जा सकता है।

यदि छोटे बच्चे ई.सी.ई. केन्द्र आ जायेंगे तो उनकी बड़ी बहनें उनकी देखभाल करने से आजाद हो जायेगीं और नियमित रूप से विद्यालय उपस्थित हो सकेगी। इस प्रकार यह कार्यक्रम अप्रत्यक्ष रूप से लड़कियों के नामांकन बढ़ाने में प्रभावी है।

1.5 विभिन्न आयोगों की अनुशंसाएं

1. सार्जेन्ट कमीशन 1946

1. किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के लिए नर्सरी स्कूलों या कक्षाओं के रूप में पूर्ण प्राथमिक शिक्षा की पर्याप्त सुविधा जुटाना एक अनिवार्य वस्तु है।

2. नगर क्षेत्रों में जहां उचित परिधि में पर्याप्त बच्चे उपलब्ध हैं, पृथक नर्सरी स्कूल अथवा विभाग जुटाए जा सकते हैं। दूसरे स्थानों पर नर्सरी स्कूलों को जूनियर बेसिक (प्राइमरी) स्कूलों के साथ जोड़ देना चाहिए।

3. नर्सरी स्कूल और कक्षाओं के लिए दृढ़ता के साथ महिला अध्यापिकाएं होनी चाहिए, जिन्होंने इस काम के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

4. पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक दशा में निःशुल्क होनी चाहिए, जिस समय उपस्थिति को अनिवार्य बनाना संभव न जान पड़े, तब माता-पिता को अपने बच्चों को स्वेच्छा से स्कूल भेजने की प्रेरणा देने वाला कोई भी प्रयत्न अछूता नहीं छोड़ना चाहिए। विशेषकर असंतोष या ऐसी स्थिति में जबकि माताएं बाहर काम पर जाने की अभ्यस्त हों।

5. इस अवस्था के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें बच्चों को औपचारिक शिक्षा के स्थान पर सामाजिक अनुभव देना है।

6. नर्सरी स्कूलों और कक्षाओं में समान्यता 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा के आधार पर 10,00,000 स्थानों के लिए व्यवस्था की गई है।

7. इस अध्याय में बताए प्रस्तावों पर कुल अनुमानित लागत, जबकि वे पूरी-पूरी तरह कार्यान्वित हो रहे हों। 3,18,40,000/- रूपये है।

2. माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952

पूर्व प्राथमिक अवस्था में विविध प्रकार के नर्सरी स्कूल कुछ राज्यों में विद्यमान हैं, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर। इस अवस्था में बालक को सहयोग भावना के द्वारा पढ़ने के आनंद से और मनोरंजन की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है तथा शनैः शनैः जीवन की उचित आदतों, स्वच्छता और जीने के अच्छे साधनों, साथ ही सामाजिक आदतों के विकास की ओर, जो कि आगे चलकर समुदाय की सही प्रवृत्ति के लिए अत्यावश्यक है, उसका पथ प्रदर्शन किया जाता है। कई राज्यों में गैर सरकारी संगठनों या मिशनों के द्वारा चलाए गए कुछ ऐसे नर्सरी स्कूल है, और जहां वे भली प्रकार से विस्थापित हैं, जिन्हें अभी साधारण कार्य करना है। नर्सरी स्कूलों के अधिक प्रसार के मार्ग में, निहित लागत और प्रशिक्षित अध्यापकों की अत्यंत सीमित संख्या बाधक है। नर्सरी स्कूलों में प्रविष्ट होने की कुछ राज्यों में यह 3 से 5 के बीच है, और कुछ में बच्चों के 7 वर्ष की आयु होने पर शिक्षा दी जाती है।

3. भारतीय शिक्षा आयोग 1966

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों के शारीरिक भावात्मक और बौद्धिक विकास के लिए बड़े महत्व की है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जिनकी पृष्ठ भूमि असंतोषजनक हैं सन् 1986 तक पूर्व स्कूली कक्षाओं में 3.5 वयोवर्ग में 50 और 5-6 वयोवर्ग में 50 नामांकन एक उचित लक्ष्य होगा।

2. आगामी 20 वर्षो के पूर्व प्राथमिक शिक्षा को निम्नलिखित मार्गो पर उन्नति करनी चाहिए।

1. प्रत्येक जिले में और शिक्षा के प्रत्येक राज्य संस्थानों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास देखभाल और पथप्रर्दशन के लिए

2. माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952

पूर्व प्राथमिक अवस्था में विविध प्रकार के नर्सरी स्कूल कुछ राज्यों में विद्यमान हैं, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर। इस अवस्था में बालक को सहयोग भावना के द्वारा पढ़ने के आनंद से और मनोरंजन की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है तथा शनैः शनैः जीवन की उचित आदतों, स्वच्छता और जीने के अच्छे साधनों, साथ ही सामाजिक आदतों के विकास की ओर, जो कि आगे चलकर समुदाय की सही प्रवृत्ति के लिए अत्यावश्यक है, उसका पथ प्रदर्शन किया जाता है। कई राज्यों में गैर सरकारी संगठनों या मिशनों के द्वारा चलाए गए कुछ ऐसे नर्सरी स्कूल है, और जहां वे भली प्रकार से विस्थापित हैं, जिन्हें अभी साधारण कार्य करना है। नर्सरी स्कूलों के अधिक प्रसार के मार्ग में, निहित लागत और प्रशिक्षित अध्यापकों की अत्यंत सीमित संख्या बाधक है। नर्सरी स्कूलों में प्रविष्ट होने की कुछ राज्यों में यह 3 से 5 के बीच है, और कुछ में बच्चों के 7 वर्ष की आयु होने पर शिक्षा दी जाती है।

3. भारतीय शिक्षा आयोग 1966

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों के शारीरिक भावात्मक और बौद्धिक विकास के लिए बड़े महत्व की है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जिनकी पृष्ठ भूमि असंतोषजनक हैं सन् 1986 तक पूर्व स्कूली कक्षाओं में 3.5 वयोवर्ग में 50 और 5-6 वयोवर्ग में 50 नामांकन एक उचित लक्ष्य होगा।

2. आगामी 20 वर्षो के पूर्व प्राथमिक शिक्षा को निम्नलिखित मार्गो पर उन्नति करनी चाहिए।

1. प्रत्येक जिले में और शिक्षा के प्रत्येक राज्य संस्थानों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास देखभाल और पथप्रर्दशन के लिए

प्रत्येक राज्य शिक्षा संस्थान व जिले में एक-एक पूर्व प्राथमिक शिक्षा विकास केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए।

2. गैर सरकारी उद्यम को पूर्व प्राथमिक केन्द्र खोलने और चलाने के लिए अधिक जिम्मेंदार बना देना चाहिए, जबकि राज्य समानता के आधार पर उन्हें सहायतार्थ अनुदान दें।

3. पूर्व प्राथमिकता शिक्षा में प्रयोगात्मकता की प्रोत्साहित करना चाहिए, विशेषकर इसे बढ़ाने के कम खर्च के ढंग को।

4. प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों द्वारा निर्देशित बच्चों के खेलकूद के केन्द्र जहां तक संभव हो, प्राथमिक स्कूलों से ही जुड़े हुए, शिशु रक्षा से औपचारिक स्कूल शिक्षा में परिवर्तन को आसान बनाने में सहायक होगें।

5. राज्य को चाहिए कि वह राज्य और जिला स्तर पर खेलकूद के केन्द्र स्थापित करे। पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करे, पूर्व प्राथमिक, शिक्षा के शोध साहित्य के निर्माण की देखभाल करे। पूर्व प्राथमिक और प्रशिक्षण संस्थाओं की देखभाल करे और उनको मार्ग सुझाए। गैरसरकारी संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान दे तथा आदर्श प्राथमिक स्कूल चलाए।

3. पूर्व प्राथमिक स्कूलों को कार्यक्रम लचकदार होना चाहिए और इसमें विभिन्न प्रकार के खेल, श्रम संबंधी तथा ज्ञान संबंधी गतिविधियों के साथ ही ज्ञानेन्द्रियों से संबंधित शिक्षा शामिल होनी चाहिए।

4. पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं की बीच ताल-मेल बनाये रखना चाहिए।

4. संसद सदस्यों की समिति 1967

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया गया है और सुझाव

पेश किया गया है कि गैर सरकारी संस्थाएं ऐसे स्कूलों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन की अधिकारी हैं।

5. श्रीमती स्वामी नाथन समिति 1972

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो भी प्रयास हो रहा है उसका समन्वय होना चाहिए।

2. अर्धकालीन कर्मचारियों तथा स्थानीय शिक्षित महिलाओं को इस काम पर लगाना चाहिए।

3. ऐसे कर्मचारियों को संक्षिप्त अवधि की ट्रेनिंग देनी चाहिए।

पूर्व स्कूल शिक्षा संस्थाओं नर्सरियों के जैसों को प्रोत्साहित करने का आयोग का सुझाव ठीक ही है, इससे प्रारंभिक शिक्षा का स्तर संभवतः बढ़ेगा।

1.6 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता

गाँधी जी ने सच ही कहा है कि "बच्चा जो कुछ जीवन के प्रथम पाँच साल में सीखता है, परवर्ती जीवन में कभी नहीं सीखता। शिशु की शिक्षा उसके गर्भाधान से ही प्रयास होती है।"

वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। वास्तव में यह शिक्षा जन्म से ही आरम्भ होना चाहिए किन्तु 2 वर्ष में अधिक छोटा होने के कारण आरम्भ नहीं हो पाती और 3से 6 वर्ष के बच्चों को ही शामिल किया जाता है। इसकी आवश्यकता निम्न बिन्दुओं से समझी जा सकती है

* भावी जीवन के लिए तैयारी

पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक तरह से देखा जाए तो भावी जीवन के लिए नींव का कार्य करती है। जिससे बालक शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लाभान्वित होता है।

* आरंभिक निरीक्षण

कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं कि वयस्क उम्र के अनेक तरह के विकारों व शारीरिक कुरूपता आदि से ग्रसित हो जाते हैं। और ये पाया गया है कि कोई भी तभी ही नहीं पनपते बल्कि इनकी शुरूआत आरंभिक अवस्था से ही हो जाती है।

यदि इसी अवस्था में ध्यान दिया जाए, जो निरीक्षण से ही संभव है तो इनका चिकित्सा संबंधी व मनोवैज्ञानिक निदान किया जा सकता है। एक लाकोक्ति के अनुसार – 'पाप को जन्म लेते ही नष्ट कर दो।'

* प्राइमरी शिक्षा के लिए तैयारी

पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालक को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करती है ताकि जब वह उसमें प्रवेश ले तो किसी भी तरह की कठिनाई महसूस न करे जैसे (वाचन, लेखना, बोलना, गिनना, खेलना, बैठना एक स्थान पर कुछ समय के लिए) एक तरीके से यह बालक को विभिन्न पहलुओं की आदत डलवाती है जो प्राथमिक विद्यालयों में आरंभ होते हैं।

* बाहरी वातावरण से अनुकूलता

जब बालक पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वहां का बगीचा, खिलौने और पर्याप्त खेल-सामग्री, संतुलित खुराक व स्वास्थ्यप्रद भोजन, विद्यालय का अनुशासित दैनिक कार्य, अन्य गतिविधियाँ सब उसे आकर्षित करते हैं जिससे वह खेल-खेल में शिक्षा भी ले लेता है। इस वातावरण में रहने के साथ ही उसमें अनुकूलता बढ़ती जाती है और आगे चलकर यह काम आती है।

* कामकाजी महिलाओं को सुविधा

सार्जेन्ट आयोग (1944) के शब्दों में यह राज्य का कर्तव्य है कि वह मुक्ति के लिए सजग हो, इसके भावी नागरिकों और उसके जन्मदाताओं दोनों

की मुक्ति के लिए उज्जवल, सामग्री से पूर्ण और उपर्युक्त अध्यापकों से युक्त नर्सरी स्कूलों की सुविधा उपलब्ध कराकर जहां कि बच्चों की जबकि उनकी माताएं काम पर गई हुई हो, उचित देखभाल की जा सके।

1.7 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सामग्री

1. शारीरिक व स्वास्थ्य क्रियाओं के लिए होनी चाहिए। क्रीड़ा का मैदान, टपने की रस्सियां, झूले, अंतः खेल का सामान, बेनों, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह रचनात्मक खिलौने।

2. इन्द्रिय प्रशिक्षण के लिए माण्टेसरी व किण्डरगार्टन सामग्री, के समान देशीय सामग्री।

3. कलात्मक व सृजनात्मक भावाभिव्यक्ति के लिए रंगीन कागज, पेंटिंग सेट, वाद्ययंत्र, नृत्यपोशाक और खिलौने।

4. सीखने की क्रियाओं के लिए प्रकृति अध्ययन के लिए आजयबघर, पालत पशु नमूने की वस्तुएं, सिक्के, फीता वाट, रंगीन मालाएं आदि।

1.8 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रकार

1. नर्सरी

ये प्रायः सम्पन्न परिवारों के लिए चल रहे गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा शुरू किये गये हैं (व्यापारिक आधार पर) भारी फीस वसूल करते हैं, विविध गतिविधियों के विस्तृत कार्यक्रम जुटाते हैं जैसे –खेल, कहानियाँ, संगीत, नृत्य, वार्तालाप आदि।

2. किंडरगार्टन

फ्रोबेल की पद्धति पर चल रहे ये खर्चीले स्कूल हैं भारत के प्रमुख नगरों में स्थित हैं। इनमें से अधिकांश कान्वेंट्स तथा मिशनों द्वारा चलाए जा रहे हैं, ईसाईयत और अंग्रेजी भाषा का महत्व इनके साथ जुड़ा हुआ है।

3. मांटेसरी

ये मांटेसरी पद्धति का अनुसरण करते हैं और विशेष प्रकार की यंत्र सामग्री से उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय मांटेसरी एसोसिएशन से संम्बद्ध हैं। कुछ ऐसे है जो ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं जिसका मांटेसरी पद्धति से सीधा संबंध नहीं है।

4. पूर्व बुनियादी

ये जीवन केन्द्रित शिक्षा के सिद्धांतों और 'आप सहायता आप' के उसूलों का अनुसरण करते हैं लेकिन यंत्र सामग्री तथा अन्य साधन के अभाव के कारण, जो कि बेसिक शिक्षा की पद्धति में विजड़ित मितव्ययिता के सिद्धांत का परिणाम है, इनकी अन्य प्रकारों से तुलना नहीं करना चाहिए।

5. एक अध्यापकीय नर्सरियां

उक्त चार प्रमुख प्रकारों के अतिरिक्त निजी रूप में प्रवर्तित ग्रामीण क्षेत्रों में अकेले अध्यापकों द्वारा एक कमरे वाले, एक अध्यापकीय कुछ नर्सरी स्कूल खोले गयें हैं।

6. नूतन बाल शिक्षण संघ पाठशालाएं

ये 'नूतन बाल शिक्षण संघ' से संबद्ध जिन्होंने कि विभिन्न स्थानों पर नये प्रकार के नर्सरी स्कूल खोले हैं ये स्कूल पूर्व बुनियादी और मांटेसरी पद्धति के प्रमुख कार्यो को संयुक्त करते हैं।

7. पूर्वक प्राथमिक पाठशालाएं

कुछ गैर सरकारी संगठन और कुछ राज्य सरकारों ने गरीबों के लिए पूर्व प्राथमिक पाठशालाएं शुरू की है,निर्धन बालकों को मुफ्त दूध वेशभूषा आदि जुटाती है। इनकी संख्या बहुत कम है।

1.9 एकीकृत बाल विकास परियोजना

1972 में एक अध्ययन किया गया पूर्व विद्यालय संस्थाओं के विकास

को लेकर जो कि ग्रामीण क्षेत्र में थें इसमें पाँच कार्यात्मक प्रतिमानों को लेकर सुझाव दिये गये।

1. व्यापक डे केयर सेन्टर
2. हाफ डे बालवाड़ी
3. सेन्टर आँगनवाड़ी
4. प्राइमरी स्कूल बेस्ड सेन्टर

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

इसी आधार पर राष्ट्रीय योजना में इसे मुद्दा बनाया 1974 में तथा एक राष्ट्रीय बाल विकास मण्डल बनाया गया।

राष्ट्रीय योजना द्वारा बच्चों के लिए अनेक अर्ली चाइल्ड हेतु ऐज्युकेशन कार्यक्रम प्रारंभ किये गये।

1. एकीकृत बाल विकास परियोजना
2. ई.सी.सी.ई. केन्द्र
3. बालवाड़ी (सरकारी योजना द्वारा संचालित)
4. पूर्व प्राथमिक विद्यालय (राज्य सरकार द्वारा संचालित व नगर निगम)
5. मात् एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)

1. एकीकृत बाल विकास परियोजना

सन् 1995 में सरकार द्वारा एक व्यापक व एकीकृत कार्यक्रम प्रारंभ किया जो सभी पूर्व के अनुभवों, मांगों व सुझावों पर आधारित था। इसके उद्देश्य जो अंतः संबंधित थे। इसमें स्वास्थ्य जाँच, उपचार सेवा, पूरक पोषण आहार, रोगों से बचने के उपाय, अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा और औरतें के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण आहार शिक्षा।

एकीकृत बाल विकास योजना एक बाल हितकारी योजना है।

एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यक्रम ग्रामीण श्रमिक बस्तियां पिछड़ी जनजाति वाले स्थानों पर केन्द्रित है। एकीकृत बाल विकास परियोजना पैकेज में आँगनवाड़ी है जिन्हें स्थानीय आधार पर चलाया जा रहा है। आँगनवाड़ी गांवों में ही स्थित है जो पिछड़े व श्रमिक गन्दी बस्तियों में है। इन्हें आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा व्यवस्थित किया जाता है।

आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है। 1975 से ICDS योजना द्वारा 33 प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट द्वारा प्रारंभ किये गये थे और अब इसका क्षेत्र हर साल तेजी से बढ़ रहा है।

वर्तमान में ICDS बाल शिशु विकास का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 1991-92 के अंत तक 2.90 लाख आँगनवाड़ी म.प्र. थी जिसमें 140 बच्चे व 27 लाख माताएं थी।

91.5% एकीकृत बाल विकास परियोजना ग्रामीण क्षेत्र में व 8.5% शहरी क्षेत्र में स्थित है।

वर्तमान में कार्यक्रम को अधिक फोकस करने के लिए कई संख्या में इस क्षेत्र में पहल हो रही है।

एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आँगनवाड़ी क्षेत्र को बढ़ाने के लिये लिए तथा उसकी समस्या का व्यवहारिक रूप से समाधान करने के लिए प्रशिक्षण पर को महत्वपूर्ण माना गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का प्रारंभ 5.6 वर्ष की आयु में नहीं अपितु बालक के पैदा होने के पूर्व ही माताओं की क्रियाओं, भोजन, मानसिक स्थिति आदि पर निर्भर करता है, परंतु जन्म के उपरांत बाल्यावस्था में बालक पर विशेष ध्यान रखने पर उसका मा. शारीरिक भावात्मक विकास उचित

रूप से होता है। अन्यथा विकलांगताऐं आ घेरती हैं या भावात्मक कुंठाए अवरोधन करती है इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक का सही मार्गदर्शन कैसे हो या आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मुख्य दायित्व है।

विकास को केवल मानसिक एवं बौद्धिक आयामों में ही नहीं ओकना चाहिए वरन् विकास की परिभाषा समग्र विकास से है। इसके आयाम हैं प्रशासनिक दृष्टि से पूर्व स्कूल शिक्षा संबंधी संस्थाएं हैं इसलिए आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अपेक्षित ब्यौरा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए संदर्शिका एवं अन्य पुस्तकों में दिया गया है इसे ही आधारभूत माना गया है।

देश में बाल कल्याण संस्थाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये संस्थाएँ समाज के कम सुविधासम्पन्न बालकों की देखभाल में लगी है। आँगनवाड़ी बालक के प्राथमिक विद्यालय के बीच की कड़ी है। इसके द्वारा बालकों के स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी जानकारियाँ प्रदान की जाती है। ये बालकों के शा., मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक विकास में सहायक हैं। इनके अलावा बाल विकास, पाठशालाओं में स्थिरता रखने के लिये तथा सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देने में सहायत हैं। इनका कार्य बालकों तथा समुदाय को स्वास्थ्य पोषाहार तथा शिक्षा संबंधी जानकारी प्रदान करता है।

उद्देश्य :-

1. 3-6 वर्ष की आयु के बालकों की पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।
2. उनके उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना।
3. मानसिक अस्वस्थता, कुपोषण व विद्यालय छोड़ने वाले बालकों की संख्या में कमी करना।

4. बाल विकास को बढ़ावा देने के लिये विश्रिन्न विभागों के बीच नीति एवं क्रियान्वयन में प्रभावकारी समन्वय करना।

5. स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बालक के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की जानकारी के लिए स्त्रियों को योग्य बनाना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आँगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, पूरक पोषाहार की व्यवस्था करना, महिलाओं को पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा देना, कार्यक्रम चलाने के लिए समुदाय का सहयोग प्राप्त करके उन्हें कार्यक्रम में शामिल करना, आई.सी.डी.एस. के स्वास्थ्य संबंधी कार्यो में सहयोग देना, प्राथमिक उपचार, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे पंचायत, महिला मंडल स्कूल अध्यापक आदि के द्वारा कार्यक्रमों में सहयोग प्राप्त किया जाता है। इन सभी कार्यो को आँगनवाड़ी द्वारा किया जाता है इससे समुदाय को अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे बालकों की उचित स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठाते हैं। इसके द्वारा बालकों की विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है जो विद्यालय में प्रवेश लेने पर आने वाली कठिनाइयों को दूर करती हैं।

6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पोषणाहार या हितग्राही माना जाता है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी, आहार संबंधी जानकारी दी जाती है व उनका पोषणाहार का ध्यान रखा जाता है। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। गर्भवती महिलाओं तथा जन्म देने के साल भर के अंदर तक की समस्त जानकारी दी जाती है।

1.10 **आँगनवाड़ी** :- आँगनवाड़ी क्षेत्रों में या शहरी मलिन एवं श्रमिक बस्तियों में खोली जाती है। एक आँगनवाड़ी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रति हजार जनसंख्या पर व आदिवासी क्षेत्रों में सात सौ

जनसंख्या पर एक होती है। कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह हजार रूपयें मानदेय दिया जाता है। तथा सहायिका को 500 रूपये प्रतिमाह।

भौतिक सुविधाएं

आँगनवाड़ी को संालित करने के लिए मानदेय किराये पर भवन की व्यवस्था की जाती है जो कि सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आँगनवाड़ी में निम्नलिखित सुविधाएँ होनी ही चाहिए :-

1. गेंद, रंग कैची, एक अलमारी, कुर्सी मेज, दरी, राष्ट्रीय झंडा, घड़ा, प्राथमिक उपचार सामग्री, स्वास्थ्य कार्ड, चार्ट, बाथरूम तौलिया आदि।

आँगनवाड़ी की देखरेख

क्षेत्र से ही संबंधित महिला जो हायर सेकेण्डरी हो उसे आँगनवाड़ी केन्द्र के संचालन के लिए चयनित की जाती है। आँगनवाड़ी केन्द्र सुबह 8.00 बजे से 1.00 बजे तक कार्य करता है। 3 से 6 वर्ष के बीच की उम्र के बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए यहां आते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यकर्ता उन घरों पर जाकर मिलते हैं जहां गर्भवती महिलाएं हैं। उन्हें विभिन्न जानकारी बताते हैं।

आँगनवाड़ी दैनिक गतिविधियाँ

सामान्य गतिविधियां जो एक आँगनवाड़ी बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए करती हैं। प्रतिदिन कार्यकर्ता बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देंगे यदि बच्चा स्वच्छ नहीं तो उसे साफ करेंगे।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था ताकि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके आई.सी.सी.एस. के अंर्तगत पूर्व विद्यालय के निम्न उद्देश्य हैं

- बच्चे में उचित शारीरिक व माँसपेशी समन्वय का विकास करना।
- बच्चें में सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, पहलकरने एवं उत्सुकता

D- 202

का विकास करना।

- बच्चे में उपलब्ध क्षमता व शक्ति को सही व्यवहार व कार्यो के प्रति झुकाव तथा मानवीय मूल्यों का विकास करना।
- बच्चे को अपनी भावनाओं को अपनी भाषा मे व्यक्त करने की योग्यता का विकास करना। इन उद्देश्यों के आधार पर निम्न क्रियाकलाप होने चाहिए।
- खेल
- कहानी
- गीत, गाना
- पक्षी,जानवर, पौधे एवं अन्य प्राकृतिक चीजों को देखना।
- कला, चित्रकारी, मिटटी के मॉडल।
- वार्तालाप मित्रों से।

खिलौने व अन्य चीजें स्थानीय लोगों की सहायता से बनवाकर या बच्चों को प्रोत्साहित कर इन खिलौनों को एकत्र करवाया जा सकता है।

बच्चों को अवसर देना खेलने का स्वतंत्र रूप से क्रियाकलाप करने का साथ ही उन्हें सुरक्षित माहौल देना।

भ्रमण व अभिलेख

उन घरों में जहां गर्भवती महिलाएं हैं उनसे मिलना व सहायता करना। गंभीर माताओं व बच्चों को अस्पताल को भेजना। कार्यकर्ता द्वारा विशिष्ट अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना।

टीकाकरण

बाल विकास परियोजना अधिकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से मिलकर टीकाकरण की तारीखें निश्चित करता है। कार्यकर्ता व बच्चों व माताओं की एक सूची बनाता है जिन्हें पूरे टीके नहीं लगे। तारीख निश्चित होने

पर आँगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों व गर्भवती माताओं को केन्द्र पर ले जाते हैं व टीकाकरण करवाते हैं। प्रत्येक का व्यक्तिगत रूप से अभिलेख रखा जाता है।

नवजात शिशु का हर माह वजन व उसका अभिवृत्ति चार्ट बनाना। आयरन की गोलियां, विटामिन की गोलियां बच्चों व माताओं को देना।

इनके कार्य निम्नलिखित है।

1. 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की संख्या का पता लगाना।
2. जन्म एवं मुत्यु के आँकड़े इकठ्ठे करना।
3. अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
4. पोषण स्वास्थ्य शिक्षा देना।
5. टीका लगाने संबंधी जानकारी देना।
6. कुपोषित बालकों को चुनना पूरक पोषक आहार के लिए।
7. उन सभी बालकों को चुनना जिन्हें टीका नहीं लगा है।
8. इन कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्हें विभिन्न स्तरों पर संर्पक बनाकर रखना।
9. स्वास्थ विभाग से संर्पक रखकर इसके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाना।
10. बालकों के सृजनात्मक विकास के संबंध में कार्यक्रमों का निर्माण करना। जैसे (कहांनिया, गीत, रंग, ज्ञान)
11. भाषा का विकास करना।
12. मानवीय मूल्यों का विकास करना। (सहयोग, धैर्य, सत्यावादिता, साहस)

1.11 समस्या कथन

ग्वालियर जिले में "पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अध्ययन करना।"

1.12 शोध कार्य की परिसीमाएं

* यह अध्ययन ग्वालियर के शहरी क्षेत्र के मात्र मलिन एवं श्रमिक क्षेत्रों में स्थित ऑगनबाड़ी तक ही सीमित है।
* प्रस्तुत अध्ययन ग्वालियर जिले के मलिन व श्रमिक क्षेत्रों की 60 ऑगनबाड़ी तक ही सीमित है।
* शोध अध्ययन हेतु ऑगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं, अभिभावकों एवं आकस्मिक निरीक्षण को शामिल किया गया।

1.13 शोध समस्या में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या

पूर्व प्राथमिक शिक्षा : 0–6 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा ताकि वे प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए तैयार तथा तत्पर हो सके।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम : पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आँगनवाड़ियाँ।

क्रियान्वयन : आँगनवाड़ियों के उद्देश्यों के संदर्भ में निश्चित किये गये विभिन्न क्रियाकलापों का लागू होना।

1.14 शोध उद्देश्य

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं (पोषक आहार, स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण, अनौपचारिक शिक्षा एवं

समन्वय व सेवा) के क्रियान्वयन का कार्यकर्ताओं के परिपेक्ष्य में अध्ययन।

2. पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं (पोषक आहार, स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण, अनौपचारिक शिक्षा एवं समन्वय व सेवा) के क्रियान्वयन के संदर्भ में अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन।

3. पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में कार्यकर्ताओं व अभिभावकों का तुलनात्मक अध्ययन।

4. मूलभूत संरचनाओं एवं कार्यान्वयन का निरीक्षणात्मक अध्ययन।

1.15 अध्ययन की उपयोगिता

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता अब समस्त विश्व द्वारा मानी जा रही है। 6 वर्ष की उम्र में बालक में सामाजिक आदतें व स्वयं के विकास बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये वर्ष बच्चे को बहुत प्रभावित करते हैं।

इन दिनों में चल रहा विकास बाद में आगे के विकास का आधार माना जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान में जो अध्ययन हुए हैं उसमें समाज का ध्यान बच्चों के उन प्रभावी वर्षो की आवश्यकता के ऊपर दिलाया है।

प्रारंभिक वातावरण बालक के ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। ब्लूम (1964) ने अपने वृद्धि के विकास के ऊपर किये गये अनुसंधान में कहा है कि समस्त वैदिक विकास का आधा प्रतिशत विकास बालक के चार वर्ष के उम्र में ही हो जाता है।

प्रारंभिक वर्ष में बालक का वह समय है जब वह बिना किसी रूकावट व बाह्य नियंत्रण के होता है। यदि उसे पूर्व प्राथमिक विद्यालय द्वारा अनुभव प्रदान किये जाते हैं तो उसके सृजनात्मक स्तर व समस्या

समाधान की क्षमता को और विकसित किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986,92 ने ई.सी.सी.ई. को महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

वृहद स्तर पर कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं समस्त देशों में। ताकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके। इसी श्रृंखला में सरकारी संस्थाएं चल रही है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में। इन आँगनवाड़ियों द्वारा इन क्षेत्रों के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा तथा अन्य विषयों पर कार्य किया जा रहा है।

शोधकर्ता द्वारा इन्हीं आँगनवाड़ियों के कार्यो के क्रियान्वयन का अध्ययन किया जा रहा है। इस संदर्भ में सीमित अध्ययन हुआ है। अतः इस शोध की महत्ता अधिक है।

शोधकर्ता यह जानना चाहती है कि जो निश्चित मानदंड आँगनवाड़ियों के लिए बनाए गये हैं, क्या वे उसी के अनुरूप अपना कार्य कर पा रहे हैं। उनके पास भौतिक सुविधाएं हैं या नहीं। जिन योजनाओं को लेकर उन्हें संचालित किया जा रहा है वे उनसे संबंधित कार्यो को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन किया गया है।